BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

O.A. NO. 82 OF 2026/EZ

Veterans Forum for Transparency in Public Life

.... Applicant

Versus

The Government of Bihar & Ors.

.... Respondent

Index

	Page
Counter Affidavit on behalf of Respondent No 4 ie D.M Chapra	- 1-6
Annexture: A	7-[illegible]
Annexture: B	8-13

Filed By

Suvendra Kumar

Advocate

BIHAR COURT FEE
₹5
BRECR001C260700051719
17 Jul 2026

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

O.A. NO. 82 OF 2026/EZ

Veterans Forum for Transparency in Public Life

.... **Applicant**

Versus

The Government of Bihar & Ors.

.... **Respondent**

COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENTS NO. 4 , DISTRICT MAGISTRATE, SARAN

I, Vaibhava Srivastava, S/o Sri Deepak Kumar Srivastava aged about 36 years working as a District Magistrate, Saran, Chapra for gain of Respondent No. 4 Office and I am duly authorised by competent authority to swear this Affidavit and do hereby solemnly state and affirm as follow:

1. That the present Original Application has been filed by the Petitioner for directing the respondent No.- 04 to take appropriate steps towards rehabilitation /restoration of Tel River, to remove encroachment there upon and plantation of trees over embankment of Tel River.

2. That first of all it is relevant to mention here that this matter was heard by the Hon'ble Tribunal on 16.04.2026 and the Hon'ble Tribunal was pleased to direct the answering respondent to file response within one month.

3. That it is also pertinent to mention here that after going through the original application and order dated 16.04.2026 the answering respondent took the matter seriously and vide an order contained in memo No.- 1297 dated 30.04.2023 constituted a 09 (nine) men committee headed by the Deputy Development Commissioner, Saran and ordered to submit a report regarding grievances of the Petitioner.

Photo copy of the order contained in memo no.- 1297 dt. 30.04.2026 is being annexed and marked as Annexure- "A".

4. That it is relevant to mention here that the existence of Tel river touches jurisdiction of only 03 blocks in Saran District namely Jalalpur, Sadar and Rivelganj therefore, after discussion over all the relevant issues the DDC, Saran called for a report from the concerned Block Development Officers and Circle Officers about present status of encroachment, if any, over the Tel river who after due inspection of the Tel river submitted their respective reports from which

present status of Tel river is clear and on the basis of the same the DDC, Saran vide memo No.-922 dated 01.06.2026 submitted the report to the District Magistrate, Saran.

Photocopy of the memo No.- 922 dt.01.06.2026 is being annexed and marked as Annexure- "B series".

5. That as far removal of de siltation of the Tel River is concerned, in the light of direction of the Deputy Development Commissioner, Saran, a detailed project report (hereafter DPR) has been prepared by the Executive Engineer, Flood Control & Drainage Division, Chapra for which the sum of Rs/- 2710.08 lakh was estimated.

6. That it also reveals from the report of the DDC that the BDO, Sadar vide letter No.- 834 dated 11.05.2026 reported that cleaning work of Tel River is going on, the Block Development Officer, Jalalpur vide letter No.- 547 dated 12.05.2026 reported that cleaning work has been done and similarly the Block Development Officer, Rivelganj reported that cleaning work of Tel River has been completed.

7. That as far allegation of encroachment made over the Tel river the Circle Officer, Sadar vide letter No.- 1326 dated 13.05.2026 reported that after due measurement

no subsistence of encroachment has been found within jurisdiction of Sadar Block, Similarly the Circle Officer, Jalalpur vide letter No.- 1021 dated 08.05.2026 specifically reported that there is no encroachment over the land of Tel river within jurisdiction of Jalalpur and lastly vide letter No.- 506 dated 11.05.2026 the Circle Officer, Rivilganj also reported that river in question was duly measured over which no encroachment has been found.

8. That considering all the facts and document annexed herewith it comes out that there is no encroachment over the Tel River as alleged by the Petitioner and for removal of siltation of the Tel River, proper and adequate initiative is being taken and the same will be removed within reasonable time after due process.

9. That with regard to the prayer for plantation of trees over the embankment of the river, it is respectfully submitted that plantation of trees directly over the river embankment is not technically feasible, as the same may create serious possibility of cracks and / or seepage in the embankment in the future. Considering the said technical aspect, for the purpose of plantation of trees, equivalent non forest land measuring total 4.32 hectares has been identified and vide letter no. 2887/Rev. dated 4.06.2026 has submitted proposal/recommendation to the Commissioner, Saran Division, Chapra for transfer of the said land in favour of the Environment,

NOTARY GOVT. OF BIHAR
Mohan Kumar Pandey
NOTARY CHAPRA
Regd. No.-7453

forest and Climate Change Department of plantation purposes in lieu of the forest land.

Photo copy of the said letter No.2887/Rev. 04.06.2026 is being annexed and marked as Annexure- "C" series

10. That considering the above noted facts and document annexed it is crystal clear that appropriate steps are being taken for restoration of Tel River and plantation of trees nearby the Tel River.

Name...
Address...
NOTARY CHAPRA

Deponent

VERIFICATION

Verified at Chapra (Bihar) on this day of 18th July, 2026, that the averments and facts stated therein above are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been suppressed therefrom.

I identify the Signature /L.T.I. of Deponent who has signed/ put L.T.I. in my presence.
Samir Kumar Mishra
Advocate
18.07.2026
E.No 1869/2004

Advocate

Deponent

NOTARY GOVT. OF BIHAR
Mohan Kumar Pandey NOTARY CHAPRA

WELFARE STAMP
बिहार
पचास रुपये Rs. Fifty

BIHAR COURT FEE ₹10
BRCR001C260700050829
17 Jul 2026

BIHAR COURT FEE ₹10
17 Jul 2026

वैभव श्रीवास्तव, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा

Saran Collectorate, Chapra
(District Legal Section)

बिहार सरकार

Vaibhava Srivastava, I.A.S.
District Magistrate, Saran, Chapra

E-mail ID:dm-saran.bih@nic.in *Phone 06152-240001 (Office)* *06152-240002 & 240005 (Residence)*

आदेश

सारण जिला अवस्थित तेल नदी के जीर्णोद्धार (Restoraion), अतिक्रमण मुक्त करने (Removal of Encrochment) एवं तेल नदी के बांधो पर वृक्षारोपण (Plantation) करने हेतु माननीय माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पूर्वी बेंच, कोलकाता में O.A. No.-82/2026 Veterans Forum for Transparency in Public Life-बनाम-बिहार सरकार एवं अन्य वाद दायर किया गया है।

प्रश्नगत वाद में माननीय माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पूर्वी बेंच, कोलकाता के द्वारा दिनांक 16.04.2026 को आदेश पारित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया गया है।

प्रश्नगत वाद में प्रतिशपथ पत्र दायर करने के पूर्व वाद में उल्लेंखित बिन्दुओं (आदेश की छायाप्रति संलग्न) के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।

अतः वाद में उल्लेखित बिन्दुओं की गहन समीक्षा हेतु उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा की अध्यक्षता में निम्नवत समिति का गठन करते हुए आदेश दिया जाता है अविलम्ब समिति की बैठक आहूत कर वाद में उल्लेखित विन्दूओं के अनुपालन हेतु एक सप्ताह के अन्दर बिन्दुवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, छपरा आवश्यक होने पर अपने स्तर से पर्याप्त अमीन की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेगें।

1. उप विकास आयुक्त,सारण, छपरा।
2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण,छपरा या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी
3. अपर समाहर्त्ता(विभागीय जांच),सारण,छपरा
4. अपर समाहर्त्ता(राजस्व),सारण,छपरा
5. कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, सारण, छपरा
6. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, छपरा
7. निदेशक, एन.ई.पी., सारण,छपरा
8. अंचल अधिकारी, रिविलगंज/मांझी/जलालपुर
9. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी(मनरेगा), सारण, छपरा।

अनुलग्नकः-यथावर्णित।

जिला पदाधिकारी,
सारण,छपरा।

ज्ञापांक...1297...........दिनांक..30.04.2026

प्रतिलिपिः- उप विकास आयुक्त,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/04/26

जिला पदाधिकारी,
सारण,छपरा।

लक्ष्मण तिवारी, भा.प्र.से.,
उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा

सारण समाहरणालय, छपरा
(जिला विकास शाखा)

Laxman Tiwari, I.A.S
D.D.C, Saran, Chapra

E-mail Id: ddc-saran-bih@nic.in
Phone 06152-232638 (Office)

पत्रांक संचिका सं0-32-01/2025 ..../वि0 दिनांक..............2026

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधीकरण पूर्वी बेंच, कोलकता में O.N.82/2026 Veterans forum for transparency in public life बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के संबंध में प्रतिशपथ दायर करने हेतु उल्लेखित विन्दुओं पर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु।

प्रसंग:- भवदीय आदेश ज्ञापांक- 1297 दिनांक 30.04.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से तेल नदी का जीर्णोद्धार अतिक्रमण मुक्त करने एवं तेल नदी पर वृक्षारोपण कार्य करने हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधीकरण पूर्वी बेंच, कोलकता में O.N.82/2026 Veterans forum for transparency in public life बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के संबंध में दायर वाद हेतु प्रतिशपथ पत्र दायर करने के लिए उल्लेखित विन्दुओं पर अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

तदालोक में इस कार्यालय के पत्रांक- 813 दिनांक 08.05.2023 से निर्धारित बैठक के आलोक में उक्त विन्दुओ के संदर्भ में संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	उल्लेखित बिन्दु	अनुपालन प्रतिवेदन	अभ्युक्ति
1	जीर्णोद्धार	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, प्रमंडल, छपरा द्वारा तेल नदी के कुल 27.410 कि0मी0 की लंबाई में तल सफाई के कार्य हेतु 2710.08 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। इससे जलालपुर, सदर छपरा, रिविलगंज प्रखण्ड अंतर्गत 5889 एकड़ भू-भाग में जल-जमाव की समस्या दूर हो जाएगी।	
2	साफ-सफाई	(1) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर छपरा के पत्रांक-834 दिनांक 11/05/2026 (छायाप्रति संलग्न) से प्रतिवेदित किया गया है कि सदर प्रखण्ड अंतर्गत तेल नदी नैनी, फकुली एवं कर्रीगा पंचायत में स्थित है। जिसकी प्रतिदिन साफ-सफाई करायी जा रही है।	
		(2) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जलालपुर के पत्रांक- 547 दिनांक 12.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) से प्रतिवेदित किया गया है कि जलालपुर प्रखण्ड अंतर्गत तेल नदी अशोकनगर एवं शंकरडीह पंचायत में स्थित है। तेल नदी की आवश्यक साफ-सफाई करा दी गयी है तथा समय-समय पर तेल नदी की सफाई की जाती रही है।	
		(3) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रिविलगंज के पत्रांक- 501 दिनांक 11.05.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि रिविलगंज प्रखण्ड अंतर्गत तेल नदी की साफ-सफाई हेतु पंचायतो को आवश्यक निर्देश कार्यालय के ज्ञापांक-03/मु0 दिनांक 07.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में दिया गया था जिसके तहत पंचायत से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है कि तेल नदी कि आवश्यक साफ-सफाई का कार्य कर दिया गया है	
3	अतिक्रमण	अंचलाधिकारी, रिविलगंज के पत्रांक- 506 दिनांक 11.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) से प्रतिवेदित किया गया है कि अंचल अंतर्गत तेल नदी पर अतिक्रमण के संबंध में अंचल अमीन से	

		मापी करायी गयी है। अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंचल अंतर्गत तेल नदी पर कोई भी अतिक्रमण नहीं है।	
		अंचलाधिकारी, जलालपुर के पत्रांक- 1021 दिनांक 08.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) से प्रतिवेदित किया गया है कि जलालपुर अंचल अंतर्गत पंचायत राज- अशोक नगर के मौजा प्रासखान, रामपुर नूरनगर, पंचायत के मौजा- कोठ्या एवं शंकरडीह पंचायत की मौजा सकड्डी से होकर गुजरती है जिसकी स्थलीय एवं स्थानीय जाँच की गयी है। जाँच के क्रम में पाया गया कि तेल नदी के दोनो तरफ बॉधो पर वर्तमान में कोई भी अतिक्रमण का मामला नहीं है।	
		अंचलाधिकारी, सदर के पत्रांक- 1326 दिनांक 13.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) से प्रतिवेदित किया गया है कि सदर अंचल अंतर्गत तेल नदी के किनारे आने वाले सभी मौजाओं (करिंगा, ब्रहमपुर, नैनी, तुरकौलिया, बाजितपुर) कि मापी अंचल अमीन से करायी गयी है। मापी के क्रम में तेल नदी में कही भी कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया।	
4	वृक्षारोपण	सारण जिला अंतर्गत सदर, छपरा, जलालपुर, रिविलगंज अंचल अंतर्गत तेल नदी के किनारो पर वन विभाग एवं मनरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य कराया जा सकता है।	

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/-
उप विकास आयुक्त,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक संचिका सं0-32-01/2025.....922 दिनांक 01/06/~~मई~~, 2026

प्रतिलिपि - प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
सारण, छपरा।

Ammendment

वैभव श्रीवास्तव, भा0प्र0से0
समाहर्त्ता, सारण, छपरा।

सारण समाहरणालय, छपरा
(जिला राजस्व शाखा)

Vaibhava Shriwastaw, I.A.S.
Collector, Saran, Chapra

E-mail : dm-saran.bih@nic.in, Phone : 06152.240001 (Office) 06152.240002-240005 (Residence)

पत्रांक 2887/रा0,

आयुक्त सचिवालय, सारण प्रमण्डल, छपरा
08 JUN 2026
सं0 5105

आयुक्त,
सारण, प्रमण्डल छपरा।

छपरा, दिनांक– 04/06/2026

विषय :- पथ प्रमंडल, छपरा के अंतर्गत NH-19 के leftout Portion (लम्बाई-0.00 से 13.40 KM) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत 4.32 हेक्टेयर अपयोजित होने वाले वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, छपरा के पत्रांक-923, दिनांक- 13.05.2026 द्वारा पथ प्रमंडल छपरा के अंतर्गत NH-19 के leftout Portion (लम्बाई-0.00 से 13.40 KM) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत 4.32 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को हस्तांतरित करने हेतु अभिलेख संख्या-01/2026-27 अनुशंसा सहित उपलब्ध कराया गया है।

अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि का भू-हस्तांतरण की दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख संख्या-01/2026-27 मूल में संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक-यथोक्त

विश्वासभाजन

04/06/26

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

आदेश-फलक

(देखें अभिलेख हस्तक-1941 का नियम-129)

अभिलेख सं0:-01/2026-27

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

प्रस्तुत अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर छपरा के पत्रांक-923 दिनांक-13.05.2026 द्वारा पथ प्रमंडल, छपरा अन्तर्गत NH-19 के leftout Portion (लम्बाई-0.00 से 13.40 KM) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु वृक्षों के पातन/पुनर्स्थापन हेतु 4.32 हेक्टेयर (लगभग 10एकड़ 80डी0)गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु सदर अंचल अन्तर्गत सेल नदी के किनारे बने बांध पर वृक्षारोपण हेतु निम्न भूमि का भू-हस्तांतरण अभिलेख-01/2026-27 प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

मौजा	थाना	खाता	खेसरा	रकबा	रैयत
करिंगा	273	288	758	640X10 वर्गमीटर	गैरमजरूआ मालिक
ब्रहमपुर	277	827	2643	360X10 वर्गमीटर	गैरमजरूआ मालिक
		827	1517, 1546, (डीहवसगीत 1500, 1516)	800X10 वर्गमीटर	
		1237	1566, 1558, 4160, 328		केसरे हिन्द
कुल रकबा – 1800X10 वर्गमीटर (4ए0 50डी0)					

मौजा	थाना	खाता	खेसरा	रकबा	रैयत
नैनी	257	1557	1766	480X10 वर्गमीटर	गैरमजरूआ मालिकान
		1855	525, 524,	1260X10 वर्गमीटर	गैरमजरूआ आम
		1688	274		गैरमजरूआ मालिकान
तुरकौलिया	258	-	119, 117, 118	176X10 वर्गमीटर	-
बाजितपुर	253	-	01	380X10 वर्गमीटर	-
कुल रकबा – 2296X10 वर्गमीटर (05 एकड़ 74 डी0)					

इस प्रकार कुल रकबा-4 ए0 50 डी0+ 5 एकड़ 74 डी0 = कुल रकबा 10 एकड 24 डी0

अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार प्रस्तावित भूमि समतल एवं परती हैं। उक्त प्रस्तावित भूमि आम उपयोग के लिए नहीं हैं तथा भू-दान, सैरात, शमशान, मंदिर, मस्जिद, कब्रितान, न्यायिक विवाद, अतिक्रमण एवं जल निकाय आदि से मुक्त हैं।

अंचल अधिकारी, सदर छपरा द्वारा प्रस्तावित भूमि का स्थलीय निरीक्षणोपरांत प्रस्तावित भूमि हस्तांतरण करने योग्य पाया गया एवं उक्त भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए वन विभाग को देने हेतु अनुशंसा दी गई है।

उल्लेखनीय हैं कि कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा के पत्रांक-180 दिनांक-22.01.2026 द्वारा पथ प्रमंडल छपरा अन्तर्गत NH-19 के leftout Portion (लम्बाई-0.00 से 13.40 KM) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु वृक्षों के

पातन/पुनर्स्थापन हेतु 4.32 हेक्टेयर गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

अभिलेख के साथ अधियाची कार्यालय (कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा के पत्रांक-180 दिनांक 22.01.2026) का अधियाचना, भू-हस्तांतरण प्रस्ताव तीन प्रति में, चेक स्लिप तीन प्रति में, अंचल अमीन का मापी प्रतिवेदन तथा ट्रेस नक्शा तीन प्रति में संलग्न है, जिसमें प्रस्तावित भूमि को लाल रंग की स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित अभिलेख अंचल अधिकारी, सदर छपरा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर छपरा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भू-हस्तांतरण की अनुशंसा की गई है।

अतः अपर समाहर्त्ता, सारण, छपरा, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर छपरा के अनुशंसा एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0 359(6)/रा0 दिनांक 19.05.2014 के आलोक में अनुशंसित एवं प्रस्तावित निम्न विवरण की भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय भू-हस्तांतरण की अनुशंसा इस शर्त पर दी जाती है कि उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को लौट जाएगी। अन्य शर्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत लागू/मान्य होगी।

मौजा	थाना	खाता	खेसरा	रकबा	रैयत
[illegible]रिंगा	273	288	758	640X10 वर्गमीटर	गैरमजरूआ मालिक
ब्रह्मपुर	277	827	2643	360X10 वर्गमीटर	गैरमजरूआ मालिक
		827	1517, 1546, (डीहवसगीत 1500, 1516)	800X10 वर्गमीटर	
		1237	1566, 1558, 4160, 328		कैसरे हिन्द
कुल रकबा – 1800X10 वर्गमीटर (4ए0 50डी0)					

मौजा	थाना	खाता	खेसरा	रकबा	रैयत
नैनी	257	1557	1766	480X10 वर्गमीटर	गैरमजरूआ मालिकान
		1855	525, 524, 274	1260X10 वर्गमीटर	गैरमजरूआ आम
		1688	274		गैरमजरूआ मालिकान
तुरकौलिया	258	-	119, 117, 118	176X10 वर्गमीटर	-
बाजितपुर	253	-	01	380X10 वर्गमीटर	-
कुल रकबा – 2296X10 वर्गमीटर (5ए0 74डी0)					

इस प्रकार कुल रकबा–4एकड़ 50डी0+5एकड़ 74डी0 = कुल रकबा 10 एकड 24 डी0

अभिलेख सक्षम स्वीकृति हेतु आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

वैभव श्रीवास्तव, भा०प्र०से०
समाहर्त्ता, सारण, छपरा।

सारण समाहरणालय, छपरा
(जिला राजस्व शाखा)

Vaibhava Shriwastaw, I.A.S.
Collector, Saran, Chapra

E-mail : dm-saran.bih@nic.in, Phone : 06152.240001 (Office) 06152.240002-240005 (Residence)

पत्रांक 2887/रा0,

आयुक्त सचिवालय
सारण प्रमण्डल, छपरा
08 JUN 2026
सं0 5105

आयुक्त,
सारण, प्रमण्डल छपरा।

छपरा, दिनांक- 04/06/2026

विषय :- पथ प्रमंडल, छपरा के अंतर्गत NH-19 के leftout Portion (लम्बाई-0.00 से 13.40 KM) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत 4.32 हेक्टेयर अपयोजित होने वाले वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, छपरा के पत्रांक-923, दिनांक- 13.05.2026 द्वारा पथ प्रमंडल छपरा के अंतर्गत NH-19 के leftout Portion (लम्बाई-0.00 से 13.40 KM) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत 4.32 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को हस्तांतरित करने हेतु अभिलेख संख्या-01/2026-27 अनुशंसा सहित उपलब्ध कराया गया है।

अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि का भू-हस्तांतरण की दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख संख्या-01/2026-27 मूल में संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक-यथोक्त

विश्वासभाजन

04/06/26

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।